20/3/23

वादी व उनके अभिभाषक जावा प्र.प.
पास्ते राजस्व वाद को नहीं चलाने
बाबत पेश किया, जिस पर पत्रावली
तलब होकर हमारे समक्ष पेश हुई।
वादी अभिभाषक के द्वारा प्र.प. में
अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन
किया कि वादी उक्त वाद-पत्र को आगे
नहीं चलाना चाहते व उपरोक्त पत्रावली
पर कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।
वादी अपने हक अधिकारों को सुरक्षित
रखते हुए उक्त वाद आज ही खारिज
करना चाहते हैं अपने कथनों को
पुष्टि करते हुये आदेशिका पर अपने
हस्ताक्षर किये, जिन्हें उनके अभिभाषक
ने पहचाना व आइडेंटिफाई करते हुए
अपने हस्ताक्षर किये।

चूंकि वाद वादी द्वारा आगे नहीं
चलाना चाहते, अतः प्र.प. किये स्वीकार
किया जाता है वाद को इसी स्तर पर खारिज
करने के आदेश - घोषणा में पारित किये
जाते हैं। पत्रावली कैलाश कुमार डोसी
नंबर 6 कम हो।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर